**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**उच्चतर शिक्षा विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-*1201***
**उत्तर देने की तारीख-11/12/2023**

**पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से फिजियोथेरेपी में स्नातक**

***†1201* श्री सुनील कुमार सिंहः**

क्या **शिक्षा**

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फिजियोथेरेपी में स्नातक के पत्राचार पाठ्यक्रम को मान्यता/अनुमोदन प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, जनार्दन राय नगर विश्वविद्यालय, उदयपुर और सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, सिक्किम अथवा देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी में मुक्त अध्ययन/पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम सरकारी नौकरियों के लिए मान्य हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या मुक्त अध्ययन/पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से फिजियोथेरेपी के स्नातक पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं दिए जाने के संबंध में कोई अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(डॉ. सुभाष सरकार)**

( ) ( .): ( ) 4 सितंबर, 2020 को यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया। इसके बाद, 1 जुलाई, 2021 और 18 जुलाई, 2022 को संशोधन अधिसूचित किए गए। ये यूजीसी की वेबसाइट https://deb.ugc.ac.in/ पर उपलब्ध हैं। ये विनियम मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड और ऑनलाइन मोड के माध्यम से अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री प्रदान करने और स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए निर्देश के न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड (एफ) के तहत निर्दिष्ट विश्वविद्यालय, 3 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होते हैं।

इसके अलावा, जैसा कि यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियमन 2 (जेड) के तहत निर्धारित किया गया है, फिजियोथेरेपी के विषय में कार्यक्रमों को ओडीएल/ऑनलाइन मोड में प्रस्तावित किया जाना प्रतिबंधित है।

*****